संख्या-01/2017/01/41-2017-330 सा0/15

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय- पर्यटन विभाग उ0प्र0 तथा राज्य पर्यटन विकास निगम लिए के पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को लीज़ एवं डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट के माध्यम से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

&&&&&&&&&&&&&

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 96/2016/1421/41-2016-330 सा0/15 दिनांक 16.08.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परियोजना के अग्रतर क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) निम्नलिखित इकाईयों को उनके नाम के सम्मुख अंकित उच्चतम निविदादाता को उनके द्वारा प्रदत्त निविदा दर पर दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

क्रम सं0	पर्यटन इकाई का नाम	निविदा दाता	प्रदत्त निविदा दर (रू0 में)
1	राही टी0आर0सी0 मथुरा	होटल राज, 3/6, जॉनसंनगंज, इलाहाबाद	9,52,501
2	राही पर्यटक आवास गृह बस्ती	शुभम ग्लोबस,2/577, विरामखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ	15,51,000
3	राही पर्यटक आवास गृह देवरिया	श्याम गंगा बिल्डर्स, हाउस नं0 225, होटल रेनुका इन काम्प्लेक्स, राघवनगर, देवरिया	3,40,000
4	राही पर्यटक आवास गृह कपिलवस्तु	कन्दर्प कन्सट्रक्सन, बी-158, सेक्टर-ए, महानगर लखनऊ	4,99,990
5	राही पर्यटक आवास गृह महोबा	होटल राज, 3/6, जॉनसंनगंज, इलाहाबाद	9,00,501
6	राही पर्यटक आवास गृह वृन्दावन	किसान आइस एवं कोल्ड स्टोरेज, 1 नगलाडाल, एटा रोड, टूण्डला, फिरोजाबाद	39,51,000
7	राही पर्यटक आवास गृह रामगढ ताल	हरी प्रसाद गोपी किशन सराफ लि0, गोपी गली हिन्दी बाजार, गोरखपुर	78,50,000
8	राही पर्यटक आवास गृह टाइगर डेन पलिया	राको एग्रो केम, ई-13, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 एरिया चिनहट लखनऊ	24,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) आगामी निविदा प्रक्रिया में प्रोपराइटरशिप फर्म को भी निविदादाता के रूप में अर्हता प्रदान की जाए।

(3) शासनादेश संख्या 96/2016/1421/41-2016-330 सा0/15 दिनांक 16.08.2016 के क्रम में निम्नांकित अतिरिक्त 07 इकाइयों हेतु वर्तमान परियोजना कन्सलटेन्ट को प्रो-राटा दर पर आबद्ध किया जाय:-

1- पर्यटक आवास गृह, सुमेर सिंह किला, इटावा
2- पर्यटक आवास गृह, नौगढ़, सिद्धार्थ नगर
3- पर्यटक आवास गृह, भरथरी अलीगढ़
4- पर्यटक आवास गृह, गोपीगंज संत रविदास नगर
5- पर्यटक आवास गृह, खागा, फतेहपुर
6- पर्यटक आवास गृह, सरधना मेरठ
7- उपनिदेशक पर्यटन कार्यालय, गोरखपुर (भूतल के अतिरिक्त)

कृपया उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

संख्या-01/2017/ 01 (1)/41-2017 तद् दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4- अध्यक्ष, राजस्व परिष्द, उ0प्र0।
5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
7- सचिव, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
8- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
9- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
10- समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
11- समस्त उप निदेशक/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in